न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

	आदेश वाद सं0 एम0 09/2021 धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत। **प्रथम पक्ष** राजु साहु पिता जगदीश साहु सा0 सालेगुटू ....। **बनाम** **द्वितीय पक्ष** – कुलेश्वर साहु पिता चतुर साहु सा0 सालेगुटू .... बगैरह।	
6/8/21	वाद की कार्यवाही थाना प्रभारी, कामडारा के अप्राथमिकी सं0 03/2021 दिनांक 23/05/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा सालेगुटू के खाता सं0 216, प्लॉट सं0 1989 रकबा 1.44 एकड़ भूमि में **प्रथम पक्ष** (1) राजु साहु उम्र 46 वर्ष (2) जगदीश साहु उम्र 33 वर्ष पिता धुनी साहु ग्राम सालेगुटू थाना कामडारा जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) कुलेश्वर साहु उम्र 36 वर्ष पिता चतुर साहु ग्राम सालेगुटू गोंगरा टोली थाना कामडारा जिला गुमला के बीच उक्त भूमि में आवास का निर्माण एवं भूमि मापी करने को लेकर दोनो पक्षो के बीच तनाव बना हुआ है । फलस्वरूप शांति भंग होने संबंधी प्रतिवेदन थाना काडारा द्वारा कि गया है। थाना प्रभारी कामडारा के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मद्देनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए दं0प्र0सं0 की धारा 144 प्रारम्भ किया गया एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, कामडारा से उक्त वादगत् भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मांग किया गया। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है जो निम्न प्रकार है:– **प्रथम पक्ष** के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जवाब एंव कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि सालेगुटू के खाता सं0 216, प्लॉट सं0 1989 रकबा 1.44 एकड़ भूमि से संबंधीत है । प्रशनगत् जमीन खाता सं0 216 प्लॉट सं0 1989 रकबा 1.44 एकड़ भूमि का खतियानी रिविजनल सर्वे में जटतेली, ननकु तेली पिता डीम्बा तेली और जीतु तेली कंदरू तेली पिता तुजू तेली के नाम से खतियान में दर्ज है और खतियानी के अभियुक्ति कॉलम में बकब्जे जीतु तेली दर्ज है। जो प्रथम पक्ष के सदस्य के परदादा लगते है। पंजी ii में भी जटा तेती, रूपचन्द्र तेली, डीम्बा तेली, जितु तेली, कनदरू तेली के नाम भोलुम नं 2 पेज सं0 365 में दर्ज है। जो प्रथम पक्ष के सदस्य के पूर्वज है। द्वितीय पक्ष बिना हक व सरोकार के प्रथम पक्ष के खतियानी जमीन करीब ½ डी0 जमीन पर जबरजस्ती मकान बना रहा है जबकि पूर्व में ही दोनो पक्षों के बीच 107 दं0प्रं0सं0 के तहत् न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया के यहॉ कार्यवाही चल रही है एवं दोनो पक्ष उपस्थित हुए है जो प्रथम पक्ष के आवेदन दिनांक 22/05/2021 के आवेदन से स्पष्ट है। यह कि पुलिस प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि	

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

प्रथम पक्ष के द्वारा कामडारा अंचल में सरकारी अमीन की नियुक्ति कर सीमांकन कराने के लिए ऑनलाईन आवेदन दिया गया है और पुलिस अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट लिखा है कि विवादित जमीन की सीमाकांन करा कर मालिकाना हक दिलाने की आवश्यकता है। द्वितीय पक्ष खुद एक राजमिस्त्री है और राम में प्रथम पक्ष के सदस्यों के खतियानी जमीन पर बिना हक व सरोकार के जबरजस्ती मकान का निर्माण कर रहा है। जिससे जमीन को लेकर कभी द्वितीय पक्ष के सदस्यों के द्वारा शांति भंग होने की प्रबल संभावना है। पुलिस प्रतिवदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमीन का विवाद मूलतः सीमांकन को लेकर है। द्वितीय पक्ष बिना हक सरोकार के प्रथम पक्ष के जमीन को जबरजस्ती हडपना चाहते है और प्रथम पक्ष को प्रश्नगत जमीन से बेदखल करना चाहते हैं प्रथम पक्ष के सदस्य कानून को माने वाले है और द्वितीय पक्ष के सदस्य उदण्ड और झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हैं और द्वितीय पक्ष के सदस्यों के द्वारा कभी भी किसी समय शांति भंग हो सकती है। प्रथम पक्ष का जमीन सीमांकन कराने का आदेश पारित किया जाय।

प्रथम पक्ष द्वारा निम्न कागजात प्रस्तुत किया गया है।

1. खतियान की छाया प्रति।
2. लगान रसिद की छाया प्रति।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जवाब एंव कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि सालेगुटू के खाता सं0 216, प्लॉट सं0 1989 रकबा 1. 44 एकड़ भूमि उसके परदादा जीतु तेली के नाम है। उक्त जमीन से द्वितीय पक्ष सीमांकन आड़ से 20 फीट अन्दर घुस कर पी0सी0सी0 कर चुका है जो यह कहना प्रथम पक्ष का बिलकुल गलत है। द्वितीय पक्ष की जमीन का खाता सं0 271 प्लॉट सं0 1988 रकबा 1.08 एकड़ है जो प्रथम पक्ष के जमीन से उत्तर तरफ सटा हुआ है। प्रथम पक्ष ने अपना उक्त जमीन को रनियां का प्राईवेट अमीन से ग्रामीणों के समक्ष नापी कराया था तथा सीमा में पत्थर रखा था तथा उसी नापी के मुताबिक प्रथम पक्ष के अन्मि छोर में नापी के समय पत्थर रखा हुआ था जो अभी वर्तमान है। मैं उसी नापी के मुताबिक मकान बना रहा हूँ। मैं उसमें दक्षिण तरफ छत्त ढ़ालाई के बराबर दिवाल दे चुका हूँ तथा प्रथम पक्ष की ओर दिवाल पी0सी0सी0 तक दिया गया है। प्रथम पक्ष सदस्य झगड़ालू प्रवृति के है तथा नशे में चुर रहने वाले है। प्रथम पक्ष सदस्यों का असमाजिक तत्वों से सांठ गांठ है वो बराबर द्वितीय पक्ष को मारने पीटने की धमकी तथा काम बंद करने की धमकी देते रहते है। द्वितीय पक्ष बिलकुल सीधा साधा व्यक्ति है तथा बल वो आर्थिक दृष्टिकोण से काफी कमजोर है तथा कानून को मानने वाला है इसके हाथों शांति भंग होने की कतई सम्भावना नहीं है। प्रथम पक्ष के हाथों शांति भंग होने की पूर्ण सम्भावना है।.

द्वितीय पक्ष द्वारा निम्न कागजात प्रस्तुत किया गया है।

1. लगान रसीद की छाया प्रति।
2. खतियान की छाया प्रति।

उक्त वाद के संबंध में अंचल अधिकारी, कामडारा का जॉच प्रतिवेदनः—

मौजा सालेगुटू के खाता सं0 216 प्लॉट सं0 1889 रकबा 1.44 एकड़ भूमि खतियानी रैयत जरा तेली को ननकू तेली वो रूपचन्द्र तेली पेसरान डोम्बा तेली व जितू तेली वो बंधु तेली पेसरान तुजु तेली मौम तेली साकिन देह है पंजी ii रैयत जाठा तेली वो रूपचंद्र तेली पे0 डिम्बा तेली वो जीतू तेली वो दा0खा0 वाद सं0 115/77—78 रसिद 2016—17 तक निर्गत है। उक्त विवादित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

भूमि पर पूर्व में कच्चा मकान था जिसे प्रतिपक्ष कुलेश्वर साहु पिता चतुर साहू के द्वारा तोडकर बनाया जा रहा है। वर्तमान में आवेदित भूमि पर 20'x10' का p.c.c. कार्य किया गया है और इसी में 5'x10' का ढ़लाई लेबल तक कार्य किया गया है। प्रथम दृष्टया से स्पष्ट नहीं होता है कि विपक्षी कितनी भूमि पर दखल कब्जा में है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब, कागजात, बहस सुनने एवं अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादगत् भूमि मौजा सालेगुटू के खाता सं0 216 प्लॉट सं0 1889 रकबा 1.44 एकड़ भूमि से संबंधित है, जिसमें द्वितीय पक्ष के द्वारा आवास का निर्माण किया जा रहा है, आवास निर्माण को लेकर प्रथम पक्ष के द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा पुराने मकान को तोड़कर आवास निर्माण किया जा रहा है। अंचल कामडारा से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से प्रतित होता है कि उक्त मामला भूमि मापी से संबंधित है।

अतः उक्त वादगत् भूमि मौजा सालेगुटू के खाता सं0 216 प्लॉट सं0 1889 रकबा 1.44 एकड़ भूमि स्वतः एवं मापी से संबंधित मामला प्रतीत होता है। अतः वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

प्रतिलिपितः– थाना प्रभारी कामडारा को उनके अप्राथमिकी सं0 03/2021 दिनांक 23/05/2021 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.12.06 12:02:22 +05:30
Location: 192.168.1.3